25-C

पत्र संख्या- एफ0 ए0- सी0डी0ए0/मापदण्ड (2016-2017)- ३९६-७९८ दिनांक- १६-03-2017

सेवा में,

1- प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची- 834004

2- प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची- 834002

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड सरकार
डोरण्डा, राँची- 834002

विषय- चेक निकासी प्राधिकार पत्र निर्गत करने के मापदण्

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 31-03-2018 तक चेक प्राधिकार पत्र निर्गत करने के मापदण्ड निम्नलिखित है -

1- **स्थायी वन स्थापनाओं के चेक प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

I- मासिक लेखा मार्च 2017 तक प्राप्त होने के बाद एवं बिना काई आपत्ति के इस कार्यालय मे स्वीकार होने के पश्चात् ।

II- अनुसूची । एवं ।। कोषागार पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरीत प्रति जिस माह का कोषागार लेखा जमा किया गया है उसके एक माह पिछे का चेक/चालान जो भुनाया गया है जमा किया गया है के विस्तृत विवरणी के साथ जमा करना है ।

2- **अस्थायी वन प्रमण्डलों/अंचलों के संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड चेक-निकासी प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए ।**

I- अवधि विस्तार के लिए सरकार का स्वीकृत्यादेश वित विभाग के अनुमोदन के पश्चात् इस कार्यालय मे प्राप्त होने के बाद ।

II- अगर अवधि विस्तार का स्वीकृत्यादेश अप्रैल 2017 के पश्चात् प्राप्त होता है तो एक माह पिछे का मासिक लेखा एवं अनुसूची । एवं ।। चेक/ चालान के विस्तृत विवरणी के साथ आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

3- **शीर्ष 8550 ठेकेदार एवं संवितरक लेखा 03/2017 तक जमा करने एवं अन्तशेष शून्य होने पर ही स्थायी एवं अस्थायी स्थापनाओं दोनों का चेक प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायगा ।**

सभी प्रमण्डलों/ अंचलों को सूचीत किया जाय कि मासिक लेखा अगले माह की 5 तारिख तक जमा किया जाए । तीन कार्य दिवसों की अनुकम्पा अवधि दोषी प्रभागों में प्रदान की जाएगी ।

अगर मासिक लेखा दिये गये अतिरिक्त कार्य दिवस में जमा नहीं किया जाता है तो चेक निकासी प्राधिकार पत्र निरस्त किया जायगा साथ ही अनुसूची । एवं ।। तथा ठेकेदार एवं संवितरक लेजर खाता जमा नहीं करने पर भी चेक निकासी प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करें ।

भवदीय

16/3/17

उप महालेखाकार (कार्य एवं वन)